

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नादौती जिला करौली

दिनांक -

क्रमांक -

ग्रामीण सेवा शिविर

कैम्प काट २१६६

२०२५/६२३

ओरंगकाश बनाम सरकार

अन्तर्गत राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६

निर्णय दिनांक:- १६/१०/२५

पटवारी हल्का २१६६ भू अभिलेख निरीक्षक २१६६ की रिपोर्ट एवं तहसीलदार नादौती की अभिशंका के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १९५६ की धारा १३६ के तहत राजस्व ग्राम २१६६ के खाता संख्या १०५ में निम्नानुसार शुद्ध किये जाने की एतद्द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

क्र.सं.	राजस्व ग्राम का नाम	खाता संख्या	खरासा नम्बर	अशुद्ध प्रतिष्ठि	शुद्धि उपरान्त प्रतिष्ठि	वि. विवरण
०१	२१६६	१०५		पूवरा	राजपूत	
०२						
०३						
०४						

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

कैम्प काट.....

क्रमांक:-

दिनांक:-

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

०१. तहसीलदार नादौती को निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद कर पालना रिपोर्ट भिजवावे।
०२. पटवारी, पटवार हल्का.....।
०३. प्रार्थी.....।

उपखण्ड अधिकारी
नादौती

